



**श्रीमती वसुंधरा राजे**  
माननीय मुख्यमंत्री,  
राजस्थान सरकार



जोधपुर विकास प्राधिकरण



**श्रीमान् श्रीचंद्र कृपलानी**

माननीय मंत्री  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान सरकार

# मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर ( EWS )/अल्प आय वर्ग ( LIG ) एवं मध्यम आय वर्ग ( MIG )  
के लिए अफांडेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास  
योजना ग्राम-आंगणवा जोधपुर के निरस्त आवासों के आवंटन हेतु।

## आवेदन पुस्तिका



**प्रो. (डॉ.) महेन्द्रसिंह राठौड़**  
अध्यक्ष  
जोधपुर विकास प्राधिकरण



आवेदन पत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि : 04 अक्टूबर 2017  
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 31 अक्टूबर 2017

# हमारा सपना, सबका घर ही अपना

मूल्य : 200/-

## वास्तविक साईट फोटो



सम्पर्क सुत्रः  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
रेल्वे अस्पताल के पास, जेडीए सर्किल, जोधपुर 342001

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना –2015 के अन्तर्गत**  
**जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**

**द्वारा प्रस्तावित योजना में**

**आवास आवंटन एक नजर**

विवरण	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु आवास (EWS फ्लेट)	अल्प आय वर्ग हेतु आवास (LIG फ्लेट)	मध्यम आय वर्ग (MIG)
अफॉडेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास योजना ग्राम—आंगणवा जोधपुर	35	28	12
पंजीकरण शुल्क	Rs. 2000	Rs. 3500	Rs. 5000
सुपर बिल्टअप एरिया प्रति इकाई	325 sqft	500 sqft	700 sqft
इकाई आवास की अनुमानित लागत	3.90 Lac	6.00 Lac	8.40 Lac

**वर्गवार आवासों की संख्या**

	राज्य कर्मचारी	सैनिक	SC	ST	विकलांग	सामान्य	कुल आवास
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS)	02	01	03	06	0	23	35
अल्प आय वर्ग (LIG)	05	02	02	06	01	12	28
मध्यम आय वर्ग (MIG)	03	0	0	02	01	06	12

लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटा दी जावेगी ।

## आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 4 अक्टूबर, 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक

नोट:-आवेदन—पुस्तिका प्राप्त करने हेतु निम्न स्थानों पर सुविधा उपलब्ध हैं।

1. संबंधित बैंकों में।

आवासीय योजना में आवेदन—पत्र निम्न बैंकों के माध्यम से भरे जायेगे।

प्रस्तावित योजना	जोधपुर स्थित संबंधित बैंक	शाखा	टेलीफोन / मोबाइल नम्बर
अर्फ़ोडेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेगा आवास योजना ग्राम—आंगणवा जोधपुर के निरस्त आवासों के आवंटन हेतु।	एक्सिस बैंक	जलजोग चौराहा	0291—2647622 / 44
		पावटा	0291—5109921 / 2 / 3 / 5
		ऑलम्पिक टॉवर	7665018323
		पाल रोड	9828255424

## प्रस्तावना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में ग्राम अंगणवा में प्रस्तावित आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) / अल्प आय वर्ग(LIG) एवं मध्यम आय वर्ग(MIG) हेतु आवासीय योजना हेतु आम जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में आवंटन हेतु फ्लेट्स की कुल संख्या— 75 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फ्लेट्स का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

योजना की शर्तें, आवास प्रति इकाई की दर, आवास इकाई के माप आदि बिन्दुओं का उल्लेख आवेदन—पुस्तिका में कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि व अल्प आय वर्ग के लिये अनुदान राशि एवं रियायती ऋण अनुदान का प्रावधान भी राज्य स्तर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिसका विवरण आवेदन—पुस्तिका में पृथक से दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

प्रो. (डा.) महेन्द्रसिंह राठौड़  
अध्यक्ष  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

अरुण कुमार पुरोहित  
सचिव (आर. ए. एस)  
जोधपुर विकास प्राधिकारण  
जोधपुर

दुर्गेश कुमार बिस्सा (आर. ए. एस.)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

## **मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015**

**आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS)/अल्प आय वर्ग (EWS) व मध्यम आय वर्ग (EWS) के पंजीकरण एवं आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें  
ग्राम आंगणवा में निरस्त आवास के विरुद्ध आवेदन**

**प्रस्तावना :-**

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के तहत राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) / अल्प आय वर्ग (LIG) व मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए जी+3 आवास निर्माण एवं आवंटन के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित नियम एवं उपनियमों के तहत संस्थाओं की योजनाओं में/नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध भूमि पर विकासकर्ताओं की टाउनशिप हाउसिंग योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधान लागू किये गये हैं :—

- अफॉडेबल हाउसिंग स्कीम योजना के तहत ग्राम आंगणवा के पूर्व में आवंटित आवासों के निरस्तीकरण के कारण शेष रहे आवासों के पुनः आवंटन हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। मौके पर जी+3 पद्धति से आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा बनाये जाने वाले जी+3 मंजिला आवास राज्य सरकार के नगरीय विकास व आवासन विभाग के अधीन संबंधित प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कर निर्धारित कीमत पर सफल आवंटियों को सुपुर्द किये जायेंगे।

पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीकरण, लॉटरी व सफल आवेदकों को आवास आवंटन संबंधित कार्य तथा आवंटियों को वित्तीय संस्था/बैंक के ऋण उपलब्ध करवाने में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा सहयोग किया जावेगा।

## **1. आवेदन पात्रता की शर्तें :—**

फ्लेट आवंटन की पात्रता की शर्तें राजस्थान जोधपुर विकास प्राधिकरण (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 एवं समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले नियमों अनुसार होगी। मुख्य शर्तें निम्नांकित हैं :—

- 1.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्व में रियायती दर पर किसी भी विकास प्राधिकरण, विकास न्यास या अन्य स्थानीय निकाय से आवास प्राप्त नहीं किया हो।
- 1.2 भारत की किसी भी राज्य में निवास करने वाला भारतीय नागरिक जो उस शहर में कम से कम एक वर्ष से रहा हो वह भी आवेदन के लिए पात्र होगा। परन्तु प्राथमिकता राजस्थान के मूल निवासी को ही दी जावेगी। आवेदक को इस आशय का प्रमाण—पत्र/शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 1.3 आवेदक के परिवार (पति, पत्नि एवं आश्रित संयुक्त रूप से) की समस्त स्त्रोतों को मिलाकर आय EWS वर्ग हेतु रूपये 3,00,000/- प्रतिवर्ष / LIG वर्ग हेतु रूपये 3,00,001/- से रूपये 6,00,000/- प्रतिवर्ष एवं मध्यम आय वर्ग के लिए 6,00,001/- से अधिक होनी चाहिये।
- 1.4 आय वर्ग निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रमाणिक वार्षिक सकल आय (पति, पत्नि एवं आश्रित की आय संयुक्त रूप से) पर निर्भर होगी। आवेदक के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक (पति, पत्नि एवं आश्रित संयुक्त रूप से) की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जायेगी। कुल आय में निम्नलिखित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी :—

### **क. स्वयं के लिए :**

- 1.4.1 वेतन/विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति एवं अन्य देय भत्ते।
- 1.4.2 गृह/सम्पति व व्यापार से आय
- 1.4.3 विनियोग से लाभ/ब्याज
- 1.4.4 कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में सम्मिलित हो।
- ख. उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बन्ध में पति/पत्नि की आय।
- ग. उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बन्ध में आश्रितों की आय।
- 1.5 आवेदक की आयु दिनांक 01.09.2017 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो और राजस्थान के किसी भी ऐसे शहर में जिसकी जनसंख्या 1,00,000 एवं उससे अधिक हो, में स्वयं आवेदक अथवा उसके पति/पत्नि एवं आश्रित के नाम आबादी भू—खण्ड/आवास फ्लेट (लीज होल्ड/फ़ी होल्ड पर) नहीं हो।
- 1.6 पति या पत्नी में से एक ही आवेदन करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- 1.7 आवेदक के स्वयं के नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है जो कि योजना अवधि में चालू रहना चाहिये।
- 1.8 प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

## **2. आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने सम्बन्धी शर्तें :—**

- 2.1 छपा हुआ आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2017 तक पुस्तिका में वर्णित की गयी बैंक शाखाओं से रु. 200/- नकद अदा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
- 2.2 पात्र आवेदक (Eligible Applicant) द्वारा विधिवत भरे हुए आवेदन—पत्र आवश्यक दस्तावजों सहित EWS फ्लेट के लिए रूपये 2000/- , LIG फ्लेट के लिए रूपये 3500/- एवं MIG फ्लेट के लिए रूपये 5000/- पंजीकरण शुल्क (लॉटरी में सफल न होने पर राशि पुनः लौटाई जाएगी) सहित उपरोक्त शाखाओं में निर्धारित अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2017 दोपहर 3.00 बजे तक जमा करायें जा सकेंगे।
- 2.3 पात्रता की शर्तें पूर्ण न करने पर या अन्य किसी प्राधिकरण निर्णय, राज्यादेश या शहरी भूमि निस्तारण नियम एवं अन्य प्रचलित विधि से अपात्र व्यक्तियों के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे एवं पंजीकरण शुल्क राशि जब्त करने के सम्बन्ध में भूमि निष्पादन नियम, 1974 नियम एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के संबंध में राज्य सरकार से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे।
- 2.4 निम्न स्थिति में आवेदन निरस्त किये जायेंगे :—
- (अ) आवेदन के साथ निर्धारित पंजीकरण राशि जमा नहीं करवायी गयी हैं।
- (ब) आवेदन पत्र में वर्णित कोई तथ्य असत्य अंकित किया गया हो या छिपाया गया हो।
- (स) आवेदन पत्र में वांछित सूचना का कोई बिन्दु लागू नहीं है तो इस बाबत् स्पष्ट अंकन नहीं किया गया हो।
- (द) यदि आवेदक स्वयं, पत्नि पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में फ्लेट आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते हैं तो उस स्थिति में फ्लेट परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के फ्लेट आवंटन नहीं जायेंगे। आवंटित जिस सदस्य का फ्लेट आप रखना चाहते हैं उसकी राशि बिन्दु संख्या—3.9 की तालिका के अनुसार ही जमा करानी होगी और एक ही फ्लेट प्राप्त करने का शपथ—पत्र पेश करना होगा।
- 2.5 लॉटरी के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण के सूचनार्थी लगाई जायेगी एवं प्राधिकरण वेबसाईट [www.jodhpurjda.org](http://www.jodhpurjda.org) पर अपलोड भी की जायेगी।
- 2.6 पात्र आवेदकों की ऐसी सूची में से लॉटरी के जरिये सफल आवेदकों का चयन होगा एवं लॉटरी में सफल व्यक्तियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित डाक के पते पर आवंटन मांग पत्र जारी किये जायेंगे। ऐसी सूचना के 30 दिवस के अन्दर मांग पत्र राशि सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्देशित ESCROW Account में निर्धारित किश्तों में सारणी 3.9 के अनुसार जमा करानी होगी।
- 2.7 आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स अथवा अन्य कोई फोटो युक्त दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति जमा करानी होगी।
- 2.8 उक्त योजना के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि के लिए सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय डी.डी./नकद के रूप में निर्धारित बैंक में चालान के द्वारा जमा करवानी होगी।

### **3. फ्लेट आवंटन की शर्तें :—**

- 3.1 लॉटरी में सफल आवेदकों को फ्लेट की राशि जमा कराने हेतु तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।
- 3.2 फ्लेट निर्माण के पश्चात् एवं फ्लेट की सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् ही स्थायी आवंटन-पत्र (लीज-डीड) जारी किये जायेंगे।
- 3.3 फ्लेट 99 वर्ष की लीज पर आवंटी के व्यय पर आवंटित किया जायेगा एवं आवंटी के व्यय पर ही लीज डीड का निष्पादन समस्त राशि जमा होने पर एवं समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवंटी के व्यय पर पंजीयन कराया जायेगा। उसके पश्चात् ही फ्लेट का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- 3.4 प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना फ्लेट का किसी भी रूप में आवंटन की तिथि से 10 वर्ष तक हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध (ab initio void) होगा और ऐसे क्रेता के प्रति प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसे क्रेता एवं विक्रेता दोनों फ्लेट में बेदखली के उत्तरदायी होंगे और बिना किसी अतिरिक्त प्रतिकार के फ्लेट का आधिपत्य प्राधिकरण प्राप्त कर सकेगा। 10 वर्ष की अवधि में केवल विरासत का नामांतरण किया जा सकेगा।
- 3.5 नियमानुसार देय शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 2.5 (ढाई प्रतिशत) प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबंदी राशि कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से अग्रिम जमा करानी होगी। यदि आवंटित 2.5 (ढाई प्रतिशत) की दर से आठ साल की एकमुश्त रकम जमा कराता है तो भविष्य में शहरी जमाबंदी राशि जमा करने से छूट रहेगी।
- 3.6 आवंटन में प्राप्त फ्लेट केवल आवासीय उपयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग लेने पर आवंटन निरस्त किया जायेगा।
- 3.7 आवेदक को आवंटित मकान का कब्जा लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटित मकान निरस्त कर दिया जायेगा तथा अधिशेष आवास प्रतीक्षारत आवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।
- 3.8 राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति करो का भुगतान करना होगा। जैसे – आवास, सम्पत्ति कर, नगर पालिका कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

3.9 आवेदक को आवंटित फ्लेट की लागत राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना होगा :—

क्र. सं.	विवरण	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग हेतु राशि (रुपये)	अल्प आय वर्ग हेतु राशि (रुपये)	मध्यम आय वर्ग हेतु राशि (रुपये)
1.	फ्लेट की कुल अनुमानित लागत	3,90,000/-	6,00,000/-	8,40,020/-
2.	प्रथम किश्त तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।	7,000/-	14,000/-	19,500/-
3.	द्वितीय किश्त तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने की दिनांक से 60 दिवस में जमा करानी होगी।	7,000/-	14,000/-	19,500/-
4.	बैंक से ऋण प्राप्त कर अथवा स्वंय के स्त्रोत से जमा कराने योग्य (राशि तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र जारी होने के तीन माह में)	2,99,200/-	4,64,000/-	7,19,500/-
5.	तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने के चौथे माह में जमा करवानी होगी।	76800/-	108000/-	81,520/-
	<b>योग</b>	<b>3,90,000/-</b>	<b>6,00,000/-</b>	<b>8,40,020/-</b>
(i) पंजीकरण शुल्क, मानचित्र शुल्क एवं एक वर्ष की अग्रिम जमाबंदी राशि अतिरिक्त देय होगी। (ii) सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन होने पर लागत उसी अनुपात में परिवर्तित हो सकती है।				

3.10 लॉटरी में सफल आवेदक द्वारा शपथ—पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर या कोई तथ्य छिपाने पर आवेदक का पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो चुका हो तो सरकार ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापिस लेने के लिए सदैव सक्षम होगी।

3.11 वरस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा। कब्जा दिये जाने के पश्चात् समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

3.11.1 विद्युत फिटिंग/फिक्सचर

3.11.2 सेनेटरी फिटिंग/फिक्सचर

3.12 उपरोक्त फ्लेट की सम्पूर्ण लागत राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर एवं परियोजना के पूर्ण होने पर (विकास कार्य सहित) ही फ्लेट के पंजीयन एवं कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

- 3.13 सभी आवंटियों को बिन्दु संख्या—3.9 की तालिका में दर्शाये अनुसार वांछित राशि निर्धारित अवधि में जमा कराना अनिवार्य है। आवंटी फ्लेट लेने का इच्छुक न हो अथवा लगातार तीन किश्ते जमा नहीं कराने पर भूमि निष्पादन नियम—1974 प्रभावी रहेगें एवम् उसी के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। आवेदक मांग राशि जमा नहीं करवाता हैं तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन स्वतः निरस्त मानते हुवे राशि जब्त कर,लॉटरी द्वारा उपलब्ध कराई गयी वरीयता सूची में से क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची में अन्य आवंटी को आवंटन कर दिया जावेगा।
- 3.14 उपरोक्त शर्ते एवं अन्य कोई शर्ते जो समय—समय पर राज्य सरकार या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित हो समय—समय पर विधि विभाग द्वारा प्रदत्त नियमों को स्वीकार करने हेतु प्रत्येक आवंटी बाध्य होगा।

#### **4. विशेष जानकारियाँ/शर्ते :—**

- 4.1 आवेदक के स्वयं के परिवार की वार्षिक सकल आय (पति, पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2016–17 के आधार पर होनी चाहिये। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।
- 4.2 निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया आय प्रमाण—पत्र स्वीकार किया जायेगा। वेतन स्लिप व अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 4.3 निम्नांकित कारणों से आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त कर दिए जावेंगे एवं पंजीकरण राशि जब्त कर लिया जावेगा :—
- (i) एक योजना में एक ही आय वर्ग के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
  - (ii) यदि आवेदन निर्धारित आरक्षित क्षेणी में किया गया हो परन्तु उसकी पुष्टि हेतु निर्धारित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावे।
  - (iii) यदि आवेदन एक से अधिक श्रेणी में किया गया हो अथवा निर्धारित श्रेणी में एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर।
  - (iv) आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
  - (v) नियत तिथि को निर्धारित आयु (18 वर्ष) से कम आयु के व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
  - (vi) संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 4.4 आवासीय इकाई से सम्बन्धित सामान्य क्षैत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे : जीना, अहाते की दीवारे, बगीचे, खुला स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख—रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख—रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी।
- 4.5 इस योजना में प्राप्त आवेदनों की आय वर्गानुसार एवं श्रेणीवार उपलब्ध आवासों की संख्या के अनुसार लॉटरी द्वारा (पंजीकरण योजना के अन्तिम तिथि के पश्चात् लगभग दो माह में) वरीयता निर्धारित की जायेगी।

4.6 आवासों की उपलब्ध संख्या के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवेदकों की प्रतीक्षारत सूची तैयार की जावेगी।

##### **5. फ्लेट में आरक्षण व अन्य शर्तें :—**

- 5.1 आवेदन पत्र जमा कराने एवं आवंटन के बीच यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवंटन/हस्तान्तरण उसके नॉमिनी अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को किया जा सकेगा।
- 5.2 प्राधिकरण द्वारा पत्राचार आवेदन पत्र में अंकित पते पर ही किया जावेगा। यदि पते में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसकी सूचना प्राधिकरण को देने पर परिवर्तित पते पर सूचना देने का प्रयास किया जावेगा, किन्तु प्राधिकरण इस हेतु बाध्य नहीं होगा। परिवर्तित पते का साक्ष्य देना होगा।
- 5.3 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवास इकाईयों का आवंटन सामान्य वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 5.5 विकलांग श्रेणी में केवल वे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जिनके पास निर्धारित 40 प्रतिशतता अथवा अधिक प्रतिशतता का विकलांगता प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी का जारी किया हुआ है। यह प्रमाण—पत्र आवश्यक रूप से सलंग्न करना होगा।
- 5.5 राज्य कर्मचारी के लिये आरक्षित फ्लेट हेतु ऐसे आवेदक ही पात्र होंगे जो राज्य सरकार की सेवा में निर्धारित वेतनमानों में सेवारत है अर्थात् जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय (इसमें नियमित रूप से नियुक्त)/राज्य स्थानीय निकाय/राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत है। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारी इस आरक्षित वर्ग में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रशिक्षु कर्मचारी भी शामिल होंगे।
- 5.6 आरक्षण केवल एक ही वर्ग में मान्य होगा जैसे व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का है व विकलांग भी है एवं भूतपूर्व सैनिक भी है व पत्रकार भी है तो केवल एक ही वर्ग में आवेदन करेगा अन्यथा एकाधिक वर्ग में आवेदन करने पर आवेदनकर्ता के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 5.7 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके पति/पत्नि/एक परिवार के सदस्य से है।
- 5.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उनमें से केवल एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है अर्थात् सैनिक वर्ग में केवल उसी स्थिति में पति अथवा पत्नी द्वारा आरक्षित कोटे (सैनिक) से आवेदन किया जा सकता है, जब स्वयं सैनिक द्वारा आवेदन नहीं किया गया हो।
- 5.9 सैनिक अथवा उसके पति/पत्नी को पूर्व में राज्य की किसी यू.आई.टी. अथवा विकास प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई आवास गृह आवंटन होने की स्थिति में वह फ्लेट आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 5.10 मृतक सैनिक के परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

- 5.11 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लेट्स हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार रूपये 50/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र सलंगन करना आवश्यक है।
- 5.12 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) के लिये आरक्षित फ्लेट्स का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण—पत्र लगाया जाना आवश्यक है :—
- (अ) उन सैनिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (एवं बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
- 5.13 आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिए नियमानुसार मुद्रांक शुल्क देय होगा।
- (अ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग फ्लेट के लिए रूपये 50/- प्रति फ्लेट।
- (ब) अल्प आय वर्ग फ्लेट के लिए रूपये 100/- प्रति फ्लेट।
- 5.14 शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को भूतल पर फ्लेट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 5.15 राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय—समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
- 5.16 किसी भी कारण से अधिशेष/निरस्त आवास प्रतीक्षारत आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।
- 5.17 विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जोधपुर ही होगा।
- 5.18 आवेदन के साथ आवेदक द्वारा सलंगन किये जाने वाले प्रपत्र :—**
- 5.18.1 आय प्रमाण—पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित कर के देना होगा।
- 5.18.2 आवेदक के स्वयं, पत्नी का, उनके आश्रित का वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किसी एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में आवास या भूखण्ड नहीं होने बाबत् शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 5.18.3 आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनोफाईड प्रमाण—पत्र।
- 5.18.4 पहचान—पत्र की सत्यापित प्रति।
- 5.18.5 देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद चालान।
- 5.18.6 अन्य प्रमाण—पत्र/शपथ—पत्र जो भी लागू हो।
- 5.18.7 **आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया :—** यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो आवेदन शुल्क अदेय रहेगा। आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।

**5.19 वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन :**

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी।

योजना से सम्बन्धित जानकारी समय—समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट [www.jodhpurjda.org](http://www.jodhpurjda.org) पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाइट का अवलोकन समय—समय पर करते रहें।

**5.20 आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि :—**

आवेदन पत्र दिनांक 31 अक्टुबर 2017 शाम 3:00 बजे तक बैंक कार्य समय में उल्लेखित बैंक की शाखाओं में जमा करवाये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**6. आवेदन के साथ आवेदक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक सम्बन्धित शपथ पत्र**

(समस्त आवेदकों के लिए)

**:: शपथ—पत्र (1) ::**

(शपथ—पत्र 50 रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा

प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

- मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... जाति .....  
..... हाल निवास ..... तहसील ..... जिला .....  
..... मैं निवास करता/करती हूँ। राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए अधिकृत संस्था जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत जारी किये गये विज्ञापन को भलिभांति जानकर, पढ़कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक.....आय वर्ग आवास जी+3 फ्लैट हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ—पत्र के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि :—
1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
  2. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।
  3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
  4. मेरे/हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में जमा करवाई गई राशि का उपयोग सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य हुए 'एस्क्रो' समझौता पत्र की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, इसके लिए बैंक द्वारा मेरे/हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
  5. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे/हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण/मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उससे हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
  6. मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे बैंक ऋण की किश्त हमारे द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय की 30 से 40 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी एवं मेरे/हमारे द्वारा समस्त राशि की समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।
  7. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत सस्ती दरों पर फ्लैट आवंटित किये जाते हैं, जिसके लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं विकासकर्ता के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है, चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तों के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जानी है, जो कि मेरे/हमारे सम्बन्धित बैंक शाखा खाता से ली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकासकर्ता को अदा की जावेगी। इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे/हमारे बैंक खाता को सम्बन्धित बैंक द्वारा "एस्क्रो एग्रीमेन्ट" की शर्तों के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और ना ही सम्बन्धित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी।
  8. अगर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बैंक शाखा मेरे/हमारे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ—पत्र को "एस्क्रो एग्रीमेन्ट" का भाग बनाया जाता है तो मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

**नोटराईज्ड सत्यापन**

**आवेदक के हस्ताक्षर**

## रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

### :: शपथ—पत्र (2) ::

(समस्त आवेदकों के लिए)

(इस शपथ—पत्र का प्रमाणन केवल राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के माध्यम से कराया जाना है इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाणन मान्य नहीं होगा।)

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... सशपथ  
बयान करता/करता हूँ कि –

- मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में जिसकी आवासीय आबादी 1,00,000 या इससे अधिक है, में राजस्थान आवासन मण्डल, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
- मुझ पर आश्रित किसी व्यस्क अथवा अव्यस्क पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम राजस्थान आवासन मण्डल, नगर पालिका, राज्य के प्राधिकरणों एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
- मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित व्यस्क, अव्यस्क, पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम/ राज्य के प्राधिकरणों द्वारा आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ़ी होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।

### सत्यापन

मैं ..... उपरोक्त शपथ—गृहिता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ—पत्र के अंकित उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास एवं जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

### आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक ..... को ली है।

## रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

### शपथ—पत्र (3)

#### (समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ..... पिता/पति ..... वर्ग  
(कोई एक) : सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार/राजकीय कर्मचारी/ सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ..... आयु ..... वर्ष .....  
..... व्यवसाय ..... निवासी .....

शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ :—

1. कि मैं शहर/गांव ..... जिला/..... राज्य ..... का मूल निवासी हूँ और मेरी दिनांक ..... को आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. कि मेरा व्यवसाय ..... है तथा मेरी व मुझ पर आश्रित परिवार के सदस्यों की समस्त स्त्रोतों से आय रु. (अंकों में) ..... (शब्दों में) ..... वार्षिक आय है। (वेतनभोगी अपने नियोक्ता का प्रमाण—पत्र देवें।)
3. कि मैं राजस्थान राज्य के लिये अनूसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हूँ और पुष्टि में ..... सक्षम प्राधिकारी का पद/नाम से जारी प्रमाण—पत्र संख्या ..... दिनांक ..... सलंगन है।
4. कि मैं भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं का भूतपूर्व कर्मी होकर सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा आरक्षित/युद्ध में विकलांग व्यक्ति हूँ। पुष्टि में राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र सलंगन है।
5. कि मेरे या मेरे परिवार में पति/पत्नी/आश्रित के नाम राजस्थान के किसी ऐसे शहर या कस्बे में जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो, में फ्लेट/भू—खण्ड या भवन (लीज होल्ड/फी होल्ड पर) नहीं है।
6. कि मैंने एवं पति, पत्नी, आश्रित द्वारा पूर्व में किसी नगर विकास प्रन्यास/विकास प्राधिकरण या अन्य स्थानीय निकाय से रियायती दर या किसी भवन या भूखण्ड का आवंटन प्राप्त नहीं किया है।
7. कि मैंने एवं पति, पत्नी, आश्रित द्वारा पूर्व में किसी नगर विकास प्रन्यास/विकास प्राधिकरण या अन्य स्थानीय निकाय से रियायती दर या किसी भवन या भूखण्ड का आवंटन प्राप्त नहीं किया है।
8. कि मैंने आवेदन पत्र की समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है इन्हें एवं शहरी निस्तारण नियम—1974 एवं उसके समय—समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अधीन आवंटन हेतु

आवेदन किया है। इन्हें एवं राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने को मैं  
व्यक्तिगत रूप से बाध्य होऊंगा।

दिनांक .....

स्थान .....

### हस्ताक्षर शपथ गृहिता

#### सत्यापन

मैं ..... उपरोक्त शपथ—गृहिता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ  
कि शपथ—पत्र के अंकित उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास एवं जानकारी से सही है इसमें मैंने  
कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित किया है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने  
पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

### आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज  
दिनांक ..... को ली है।

### हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

## मूल निवास प्रमाण—पत्र

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ..... और  
इनका परिवार साधारणतः नगर ..... राज्य/ संघ क्षेत्र ..... जिला ..  
..... के निवासी है। आज दिनांक ..... को यह  
प्रमाण—पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर  
पद उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार  
कार्यालय की मोहर

नोट : यहां प्रयोग किये गये साधारण निवासी का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है।

आय प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे। वेतन प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होगें एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

**आय प्रमाण—पत्र**  
गैर वेतनभोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतनभोगी आवेदकों के लिए

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी .....  
..... तहसील ..... जिला ...  
..... राज्य ..... की परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) की सकल  
वार्षिक आय रु. ..... है।

स्थान :—

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट  
राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक के  
हस्ताक्षर मय मोहर

**आय प्रमाण—पत्र**  
**राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए**

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....इस विभाग में .....पद  
पर कार्यरत है एवं ये/राजस्थान सरकार अथवा/राजस्थान सरकार के उपक्रम में  
स्थाई/अस्थाई कर्मचारी है इनकी सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2016–17 में .....है।

**विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**  
**के हस्ताक्षर मय मोहर**

**सैनिक / सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु  
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)**

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (रँक) .....

(नाम) ..... (नम्बर) .....

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्र रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रूपये ..... प्रतिवर्ष है/अथवा
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से दिनांक ..... को सेवानिवृत्त हुए है तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी सकल वार्षिक आय रूपये ..... प्रतिवर्ष थी/अथवा
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए दिनांक ..... को हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती ..... है। इनके पति की मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रूपये ..... प्रतिवर्ष थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

**कमान्डिंग ऑफिसर/  
सक्षम अधिकारी/सचिव सैनिक बोर्ड  
के हस्ताक्षर मय मोहर**

## शपथ—पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)  
कोटे हेतु आरक्षित फलेट् स हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु  
..... निवासी ..... शपथ  
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फलेट् हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा/रही हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य उक्त आरक्षित कोटे से फलेट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
2. यह कि मेरे पिता/पति/पत्नी सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में फलेट् आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे पिता/पति/पत्नी श्री/श्रीमती ..... ने एवं हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित आवासगृहों/भूखण्डों में से कोई आवासगृह/ भूखण्ड आवंटित कराया है।

### हस्ताक्षर शपथ गृहिता

#### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

#### आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक ..... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील  
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(जो लागू न हो उसे काट दे)

## शपथ—पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)  
कोटे हेतु आरक्षित फ्लेट्स हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत  
शपथ—पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु  
..... निवासी ..... शपथ  
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लेट् के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
2. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से अतिरिक्त फ्लेट् आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित फ्लेट् हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरा/मेरी पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा फ्लेट् आवंटन हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के रूप में स्वीकार किया जावें।
4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे से आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई फ्लेट्/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

## हस्ताक्षर शपथ गृहिता

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

## आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक ..... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील  
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/  
नोटरी पब्लिक

(शपथ—पत्र रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा उनके रजिस्टर में दर्ज करवाया जाकर क्रमांक एवं दिनांक अंकित कराया जावें।)

## निःशक्तता प्रमाण—पत्र

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
..... ग्राम/नगर ..... जिला.....  
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी। ये शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति है।  
इनकी निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी  
के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

## अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण—पत्र

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... पद .....  
निवासी .....  
ग्राम/नगर ..... जिला ..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका  
विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रिण्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम :— .....  
राज्य सरकार/जन सम्पर्क निदेशालय में पंजीकरण संख्या :— .....  
अन्य विवरण :— .....  
.....  
.....

उक्त श्री ..... की  
अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु वैधता अवधि दिनांक ..... तक  
है। इनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय ..... रुपये है।

स्थान : .....  
दिनांक : .....

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/  
प्राधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर मय मोहर

## प्रमाण—पत्र

क्रमांक : .....

दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... जाति.....  
निवासी ..... ग्राम/नगर .....  
तहसील ..... जिला ..... के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल है।

### हस्ताक्षर

तहसीलदार  
(कार्यालय मोहर सहित)

## **7. प्रधानमंत्री आवास योजना से मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 से अनुदान**

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग व अल्प आय वर्ग में श्रेणीगत व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान व ऋण अनुदान दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 में प्रावधान रखा है।

### **7.1 क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम**

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास ऋण, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण अनुदान दर @ 6.50% पर रूपये 6.00 लाख तक उपलब्ध करवाया जा सकेगा। यह सुविधा नये आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए निर्माण क्षैत्रफल क्रमशः 30 वर्गमीटर तथा 60 वर्गमीटर पर लागू होगें। इस योजना में ऋण सब्सिडी प्राप्त करने लिए आवेदन पुस्तिका में सलंगन प्रारूप—I की पूर्तिकर प्रस्तुत करना होगा।

### **7.2 अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम**

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को रूपये 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस वर्ग में अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पुस्तिका में सलंगन प्रारूप—I की पूर्तिकर प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रारूप—I

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना  
EWS/LIG/MIG आवंटी को अनुदान हेतु आवेदन—पत्र**

1. आवेदन का नाम श्री/श्रीमती .....
2. पिता/पति का नाम श्री .....
3. जाति (सामान्य/एस.सी./एस.टी./अन्य) .....
4. पूर्ण पता :—
  - अ. वर्तमान पता : .....
  - .....
  - ब. स्थायी पता : .....
  - .....
5. योजना का नाम जिसमें आवास आवंटित हुआ .....
6. फ्लेट संख्या ..... वर्ग .....
- (आवंटन के उपरांत पूर्ति की जानी हैं।)
7. आधार नम्बर .....
8. प्रार्थी का दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर .....

**घोषणा**

मेरे द्वारा ..... (शहर का नाम) की ..... की योजना में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग/अल्प आय वर्ग श्रेणी का आवास संख्या ..... (आवंटन के उपरांत पूर्ति की जानी हैं।) आवंटित हुआ है। मैं उक्त आवास में कब्जा लेने के पश्चात् स्वयं निवास करूँगा तथा इस आवास हेतु मुझे अनुदान की आवश्यकता है। मैंने पूर्व में कब्जा भी योजना में इस प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर





## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर — 342001  
mail- jdanic-jod-rj@nic.in वेब—साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत योजना के तहत अर्फ़ौडेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास योजना ग्राम—आंगणवा जोधपुर के निरस्त आवासों के आवंटन हेतु।**

**आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) / अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) हेतु आवेदन—पत्र**

आय वर्ग जिसमें आवेदन किया जा रहा है।

(कृपया श्रेणी पर ✓ लगावें)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) (जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।)

अल्प आय वर्ग (LIG) (जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक पर 6 लाख तक हो।)

मध्यम आय वर्ग (MIG) (जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक हो।)

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	.....	स्वयं हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो हेतु स्थान
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	.....	
3.	पिता/पति का नाम	.....	
4.	जन्म तिथि :	4. मोबाइल/फोन नं. ....	हस्ताक्षर आदे फोटो पर एवं शेष फार्म पर आने चाहिए
5.	आधार कार्ड संख्या	.....	
6.	आवेदक का वर्तमान पता	..... पिन कोड .....	
7.	स्थाई पता	..... पिन कोड .....	

### पंजीकरण हेतु विवरण

8.	आवेदक का व्यवसाय				
वार्षिक सकल आय रु. ....		स्वयं की सकल आय	रु.		
		पति/पत्नि की सकल आय	रु.		
		आक्रित की सकल आय	रु.		
		कुल आय	रु.		
9.	वर्ग (कोई एक) इंगित करें <input checked="" type="checkbox"/>				
सामान्य/अनारक्षित <input type="checkbox"/>		अनु. जाति <input type="checkbox"/>	अनु. जनजाति <input type="checkbox"/>	सेनिक, भूतपूर्व सेनिक या उनके आक्रित <input type="checkbox"/>	
		अधिस्वीकृत पत्रकार <input type="checkbox"/>	राज्य कर्मचारी <input type="checkbox"/>	निःशक्तजन <input type="checkbox"/>	
10. प्रशासनिक शुल्क का विवरण :					
नकद द्वारा (वर्ग में ✓ इंगित करें)		<input type="checkbox"/> राशि रु 2000/- आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS)			
		<input type="checkbox"/> राशि रु 3500/- अल्प आय वर्ग (LIG)			
		<input type="checkbox"/> राशि रु 5000/- अल्प आय वर्ग (MIG)			
ड्राफ्ट द्वारा		चालान संख्या ..... दिनांक .....			
		ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक .....			
11.	आवेदक की आधार कार्ड संख्या				

यहां से काटें

**आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद**  
**जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत योजना के तहत अर्फ़ौडेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास योजना ग्राम—आंगणवा जोधपुर के निरस्त आवासों के आवंटन हेतु।**

श्री ..... योजना हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक ..... से ..... दिनांक ..... को प्राप्त किया।

(उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदक स्वयं करें)

(हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता)

11.	आवेदक की बैंक सम्बन्धी जानकारी		
	आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या		
	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा		
	बैंक का IFSC Code		
	आवेदक के स्वयं के खाते का (A/c Payee) चैक सलंगन किया गया हॉ/नहीं		
12.	मृत्यु की स्थिति में नामांकन		
क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	सम्बन्ध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

#### घोषणा :-

- पति / पत्नि / आश्रित के नाम राजस्थान के किसी शहर में कोई आवास / भूखण्ड / पलेट पूर्व में नहीं हैं।
- मेरे परिवार (पति, पत्नि एवं आश्रित) की सकल वार्षिक आय रूपये ..... है।
- मेरे निधन की अवस्था में ऊपर वर्णित व्यक्तियों को क्रमशः उत्तराधिकारी मनोनीत करता हूँ / करती हूँ।
- मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- मैंने किसी तथ्य को छुपाया नहीं हैं। मैं यह भी घोषित करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन के साथ दी गई पंजीकरण की शर्ते एवं नियम सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं इन्हें मानने को सहमत हूँ।

#### संलग्न:-

- नवीनतम फोटो।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस / पेन कार्ड / वोटर कार्ड)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र (1, 2, 3 व अन्य आरक्षण वर्ग से संबंधित)।
- अनुदान हेतु सहमति पत्र

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर आवेदक

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत अफॉरेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास योजना ग्राम आंगनवा जोधपुर के नियन्त्रित आवासों के आवरन हेतु आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग (EWS) / अल्प आय वर्ग (LG) एवं मध्यम आय वर्ग (MG) का आवरन	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत अफॉरेबल हाउसिंग स्कीम 2009 के तहत मेंगा आवास योजना ग्राम आंगनवा जोधपुर के नियन्त्रित आवासों के आवरन हेतु आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग (EWS) / अल्प आय वर्ग (LG) एवं मध्यम आय वर्ग (MG) का आवरन
		प्रथम प्रति आवेदन पत्र क्रमांक:	द्वितीय प्रति आवेदन पत्र क्रमांक:
(बिंक द्वारा रख ली जायेगी)	(बिंक द्वारा रख ली जायेगी)	प्रथम प्रति आवेदन पत्र क्रमांक:	द्वितीय प्रति आवेदन पत्र क्रमांक:
		(जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रति)	(जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रति)
दिनांक .....:	दिनांक .....:	दिनांक .....:	दिनांक .....:
		आवासांह प्राप्त करने हेतु जमा कराने वाले प्रार्थी का नाम व पता	आवासांह प्राप्त करने हेतु जमा कराने वाले प्रार्थी का पूरा नाम व पता
दिनांक .....:	दिनांक .....:	दिनांक .....:	दिनांक .....:
		बैंक का नाम एवं राशि पता	बैंक का नाम एवं राशि पता
दिनांक .....:	दिनांक .....:	बैंक का नाम एवं राशि पता	बैंक का नाम एवं राशि पता
		उपरोक्त रकम प्राप्त की।	उपरोक्त रकम प्राप्त की।
(शब्दों में) कुल रूपये : .....मात्र	(शब्दों में) कुल रूपये : .....मात्र	उपरोक्त रकम प्राप्त की।	उपरोक्त रकम प्राप्त की।
		उत्तराधीकार वैक	उत्तराधीकार वैक
उत्तराधीकार वैक के हस्ताक्षर	उत्तराधीकार वैक के हस्ताक्षर	उत्तराधीकार वैक	उत्तराधीकार वैक
		उत्तराधीकार वैक	उत्तराधीकार वैक

